क्रम-संख्या–210

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 2024

अग्रहायण 15, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 405 / 79-वि-1–2024-2-क-23-2024

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2024

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024) जिससे खेल अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2021 की धारा 12 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया हैं, में, धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रख्यात क्रीड़ा प्रशासक या प्रख्यात क्रीड़ा व्यक्तित्व।"

धारा 49 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"49–धारा 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष के लिए तथा संतोषजनक सेवा पाये जाने पर जिसे दो वर्ष तक विस्तारित भी किया जा सकेगा, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।"

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 405(2)/LXXIX-V-1–2024-2-ka-23-2024

Dated Lucknow, December 6, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Kreeda Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 21 of 2024) promulgated by the Governor. Khel Anubhag is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE SPORTS UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 21 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Sports Universities Act, 2021.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

Short title, extent and commencement

1.(1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Sports Universities (Amendment) Ordinance, 2024.

(2) It shall extent to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in this behalf, appoint.

Amendment of section 12 of UP Act no. 8 of 2021

2. In the Uttar Pradesh State Sports University Act, 2021, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (c) of sub-section (3) of section 12, the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) One member, shall be renowned sports administrator or a renowned sports personality to be nominated by the State Government."

Amendment of section 49

3. For section 49 of the Principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :–

"49. Notwithstanding anything contained in section 12, the first Vice-Chancellor shall be appointed, as soon as may be, after the coming into force of this Act, by the State Government for a term not exceeding three years and may be extended by two years on satisfactory service on such terms and conditions as it may deem fit."

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 373 राजपत्र–2024–(925)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 90 सा0 विधायी–2024–(9268)–300 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।